अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, उप-खण्ड अधिकारी को देने को बाध्य है। ऐसे कर्तव्यों का विलोप भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

बाल विवाह के प्रयास या होने की सूचना तत्काल देवें

बाल विवाह के दुष्परिणाम :

- समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में बाधा।
- बेमेल विवाह।
- परिणिति तलाक।
- छोटी उम्र में वैधव्य।
- छोटी उम्र में माँ बनना।
- शिक्षा, कार्य कुशलता एवं आत्मनिर्भरता का अभाव।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर पीढ़ी का जन्म।
- नाता प्रथा एवं एड्स को बढ़ावा।
- मातृ मृत्यु दर का बढ़ना।
- वैवाहिक जीवन में तनाव।
- गर्भपात, अपरिपक्व प्रसव, कम भार के बच्चों का जन्म।
- व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध होना।
- विकास के अवसरों में रूकावट।

21+
पर सेहरा

18+
पर डोली

**बाल विवाह अभिशाप है,
मत करिये यह पाप है**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संपर्क सूत्र

क्र. सं.	जिला	एसटीडी कोड	कार्यालय	मोबाइल
1.	अजमेर	0145	2633356	9358865706
2.	अलवर	0144	2702029	9358865707
3.	बालोतरा	02988	220970	9358865708
4.	बांसवाड़ा	02962	241547	9358865710
5.	बांरा	07453	237186	9358865711
6.	भरतपुर	05644	228870	9358865712
7.	भीलवाड़ा	01482	230199	9358865713
8.	बीकानेर	0151	2520921, 2220255	9358865714
9.	बून्दी	0747	2442533	9358865715
10.	चित्तोड़गढ	01472	241010	9358865716
11.	चूरू	01562	254593	9358865718
12.	दौसा	01427	223029	9358865719
13.	धौलपुर	05642	220162	9358865720
14.	डूंगरपुर	02964	233078	9358865721
15.	गंगानगर	0154	2444888	9358865722
16.	हनुमानगढ़	01552	262027	9358865723
17.	जयपुर मेट्रों	0141	2200576	9358865724
18.	जयपुर जिला	0141	2203090	9358865725
19.	जैसलमेर	02992	251669	9358865726
20.	जालौर	02973	222237	9358865727
21.	झालावाड़	07432	231135	9358865728
22.	झुंझुनूं	01592	233021	9358865729
23.	जोधपुर मेट्रो	0291	2540351	9358865730
24.	जोधपुर जिला	0291	2540161	9358865731
25.	करौली	07464	250130	9358865732
26.	कोटा	0744	2321096	9358865733
27.	मेड़ता सीटी	01590	220110	9358865734
28.	पाली	02932	220035	9358865735
29.	प्रतापगढ़	01478	220302	9358865736
30.	राजसमंद	02952	221000	9358865738
31.	सवाईमाधोपुर	07462	220547	9358865739
32.	सीकर	01572	270048	9358865740
33.	सिरोही	02972	220054	9358865742
34.	टोंक	01432	243851	9358865743
35.	उदयपुर	0294	2414610	9358865744

Premier#9783855551

विधिक चेतना अभियान 2019

बाल विवाह

अपराध व सामाजिक अभिशाप

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
फोन : 0141-2227481, फैक्स 0141-2227602
ई-मेल : rslsajp@gmail.com
वेबसाइट : www.rlsa.gov.in

बाल विवाह

अपराध व सामाजिक अभिशाप

भारत में और विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू किया गया है जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है और लड़की की आयु 18वर्ष से कम है तो वे विवाह योग्य नहीं हैं। यदि विवाह के समय लड़का या लड़की दोनों में से कोई विवाह योग्य उम्र का नहीं है, तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से अपराध माना गया है।

कतिपय परिस्थितियों में बाल–विवाह शून्य प्रभावहीन माना जायेगा–

1. जबकि यह किसी बाल को उसके विधिपूर्ण संरक्षण की संरक्षकता से बाहर ले जाकर किया गया हो।
2. बल प्रयोग द्वारा अथवा किसी प्रवंचना पूर्ण साधनों द्वारा उत्प्रेरित करके, उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाकर किया गया हो।
3. अवयस्क को विवाह के उद्देश्य से बेचा गया हो अथवा शादी के उपरान्त उसे अनैतिक उद्देश्यों, कृत्यों या वैश्यावृत्ति के लिए बेच दिया गया हो।

4. धारा 13 के तहत स्टे जारी किए जाने के पश्चात भी बाल विवाह किया गया हो। ऐसा आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जावेगा। इस अधिनियम के तहत जिला न्यायाधीश को भी (जहाँ–जहाँ पारिवारिक न्यायालय हैं) सम्मिलित किया गया है। जिला न्यायाधीश, महिला के लिए भरण–पोषण व आवास हेतु उचित आदेश, संविदा में शामिल पुरुष पक्षकारों के विरुद्ध दे सकते हैं। बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध माने जायेंगे। उनके भरण–पोषण एवं संरक्षण के आदेश उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारित किए जायेंगे।

आवेदन कहाँ किए जा सकते हैं?

- अधिकारिता रखने वाले सक्षम जिला न्यायालय।
- जहाँ प्रतिपक्षी अथवा विरोधी पक्ष निवास करता है।
- जहाँ शादी का समारोह हुआ था।
- जहाँ आवेदक याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर निवास करता हो।

बाल विवाह के सम्बन्ध में किस–किसको सजा हो सकती है?

- किसी अवयस्क बालिका से विवाह करने वाले व्यक्ति को।

बाल विवाह कैसी नादानी
जीवन भर आँखों में पानी

- बाल विवाह करवाने वाले या उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को।
- बाल विवाह को प्रोत्साहन या अनुमति देने वाले को। बाल विवाह में शामिल होने वाले–पंडित, नाई, बाराती, अतिथि, बैण्ड वाले, खाना बनाने वाले, टेण्ट वाले, स्थान उपलब्ध कराने वाले आदि (जब तक कि वह साबित न कर दे कि बाल विवाह उसकी जानकारी में नहीं था)

बाल विवाह की सजा–

- दो वर्ष तक का कारावास/एक लाख रूपए तक जुर्माना।
- विवाह सम्पन्न, संचालित, निर्दिष्ट करने वाला व्यक्ति दण्डित होगा। बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है पुलिस बगैर वॉरन्ट गिरफ्तार कर सकती है।
- अपराध किए जाने की तारीख से एक वर्ष के बाद प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकेगा, मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग करेगा।
- यह कानून प्रत्येक सम्प्रदाय और प्रत्येक वर्ग पर समान रूप से लागू होता है, परन्तु इसके अपवाद यह है कि दोषी बालिका को कारावास से दण्डित नहीं किया जाता है।
- इस अधिनियम की विशेषता यह है कि विवाह होने से पहले बाल विवाह रोकने के लिए सक्षम न्यायालय दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने के उपरान्त स्टे जारी कर सकता है। अतिआवश्यक परिस्थितियों में न्यायालय दूसरे पक्षकार को सूचना दिए बगैर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।
- नाबालिग बच्चों का विवाह शून्यकरणीय अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार शून्य घोषित करवाया जा सकता है।
- ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारीगण जिनमें पंचायत का सदस्य अधिकारी सम्मिलित है, इस प्रकार के होने वाले किसी भी अपराध की सूचना प्रशासन के संबंधित अधिकारी